UPJS010032192026

प्रभारी न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड–UP1646

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1044/2026

निहाल रायकवार पुत्र बाबूलाल रैकवार, निवासी–400/7 बाहर उन्नाव गेट नियर दिलीप पाण्डेय कालोनी के पास झाँसी, थाना–कोतवाली, जिला–झाँसी। ----अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य ---------अभियोजक।

मु०अ०सं०–2474/2020
धारा–135 विद्युत अधिनियम
थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी।

1. थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी के मु०अ०सं०–2474/2020, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त **निहाल रायकवार** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जरिये आत्मसमर्पण न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में अभियोजन कथानक को अंकित करते हुए सारतः कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी /अभियुक्त बेगुनाह व गरीब मजदूर व्यक्ति है। प्रार्थी को झूठा रंजिशन फंसा दिया गया है। प्रार्थी ने विभाग का समस्त राजस्व व शमन शुल्क अदा कर दिया है। प्रार्थी अपनी जमानत कराना चाहता है। जमानत प्रार्थनापत्र में दिये गये आधारों पर अभियुक्त/प्रार्थी ने दौरान विचारण जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

3. प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र में अंकित आधारों की पुनरावृत्ति करते हुए अग्रेतर यह तर्क किया कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क किया गया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्त चैकिंग के दौरान उक्त बांस बल्लियों के सहारे मोहल्ला पायगा में स्थापित एल०टी० पोल से अवैध रूप से लम्बी दो कोर केबिल डालकर विद्युत का प्रयोग करते पाए जाने का आरोप है। अपराध अजमानतीय है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा संतोष कुमार अवर अभियंता ने थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में यह सूचना प्रस्तुत की है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार मैं सन्तोष कुमार अवर अभियंता उन्नाव गेट झाँसी, धर्मवीर सिंह उपखण्ड अधिकारी मुन्नालाल पावर हाउस व दुर्गेश दीक्षित, प्रमोद, प्रताप सिंह, फैजान मंसूरी संविदा कर्मचारी उन्नाव गेट के साथ आज दिनांक–25.11.2020 को समय सुबह 06.00 बजे उन्नाव गेट क्षेत्र में विद्युत चोरी रोकने हेतु चैकिंग की गई जिसमें निहाल रायकवार चैकिंग के दौरान उक्त बांस बल्लियों के सहारे मोहल्ला पायगा में स्थापित एल०टी० पोल से अवैध रूप

से लम्बी दो कोर केबिल डालकर विद्युत का प्रयोग करते पाए गए। उक्त संयोजन संबंधी प्रपत्र मांगे गए, किन्तु उक्त ने प्रस्तुत नहीं किया तथा घटना की वीडियोग्राफी भी की गई। अतः मौके से प्रयुक्त सामग्री दो कोर केबिल रंग काला लंबाई लगभग 6 हाथ सुविधानुसार कब्जे में लेकर सील मोहर की गई। इनका यह कृत्य भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 संशोधित अधिनियम 2007 की धारा 135 में दण्डनीय अपराध है। चैकिंग रिपोर्ट नं० –006/DVVNL 1827 मौके पर भरी गई। जुड़ा भार 174 वाट घरेलू पंखा बत्ती है। अतः उपभोक्ता के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कृपा करें।

7. उक्त सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–2474/2020 थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में दिनांक 27.11.2020 को समय 11.59 बजे दर्ज कराई गयी। प्रकरण की विवेचना आरंभ की गयी। विवेचना उपरान्त अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध धारा –135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है।

8. अभियुक्त निहाल रायकवार चैकिंग के दौरान उक्त बांस बल्लियों के सहारे मोहल्ला पायगा में स्थापित एल०टी० पोल से अवैध रूप से लम्बी दो कोर केबिल डालकर विद्युत का प्रयोग करते पाए जाने के कारण धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप है।

9. अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त के फरार होने की सम्भावना दर्शित नहीं की गई है।

10. मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों में, प्रकरण के गुण दोष पर विचार किये बिना, न्यायालय जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने योग्य पाता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **निहाल रायकवार** की ओर से मु०अ०सं०–2474/2020, धारा–135 विद्युत अधिनियम, थाना–एण्टी पावर थेफ्ट, जिला–झाँसी में प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– (बीस हजार रुपये) की धनराशि के **एक** प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–04.06.2026

(शिव कुमार तिवारी)
प्रभारी विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)